

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmesc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/682

दिनांक : 29.08.2017

कार्यालय आदेश

M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205 की वर्ष 2015-16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(150)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2015/375 दिनांक 03.03.2015 के तहत औषधि Ceftriaxone Injection IP 1g/Vial [93] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 2178 दिनांक 17/03/2017 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में निर्माता फर्म द्वारा सप्लाई की गयी औषधि Ceftriaxone Injection IP 1g/Vial [93] को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 14 बैच को Clarity of Solution एवं Particulate Matter में अवमानक कोटि के घोषित किये गये। आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के 06 बैच Clarity of Solution एवं Particulate Matter में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तों के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 19/07/2017 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। फर्म के प्रतिनिधि ने Raw material में impurity ज्यादा होने के कारण hazy solution दिखाई देने की संभावना व्यक्त की। अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग-दिशा निर्देशों के कलॉज 4.6 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205 की औषधि Ceftriaxone Injection IP 1g/Vial [93] को यह आदेश जारी करने की तिथि से दो (2) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयदेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा) 29/8/17
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.


क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/682

दिनांक : 29.08.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।

7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एण्ड ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205
14. आदेश पत्रावली।


कार्यकारी निदेशक (क्यूसी.)
आर.एम.एस.सी.